प्रेषक,

चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ

43

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी,उ0प्र0।
2. समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक चकबन्दी,उ0प्र0।
3. समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी/सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 6653/जी0–415/2009 दिनांकः 10 जुलाई,2009

विषयः ग्रामों के मध्य सीमा विवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत चल रहे ग्रामों का भ्रमण के दौरान यह संज्ञान में आया कि कतिपय ग्रामों मे नदी के कटान के कारण सीमा विवादित हो चुकी है। ऐसे ग्रामों का सीमा विवाद निस्तारण किये बिना ही चकबन्दी प्रक्रियाएं आगे बढ़ा दी जाती हैं तथा धारा–52 के प्रस्ताव भी निदेशालय प्रेषित कर दिये जाते हैं। ग्रामों के मध्य सीमा विवाद बने रहने के फलस्वरूप चकबन्दी के प्रति लोगों में असन्तोष व्याप्त होता है।

2. ग्रामों के मध्य सीमा विवाद के निस्तारण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–36, 38, 51 व 53 में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। प्रस्तर–36 में यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राम में सर्वे कार्य करने से पहले आयतकर्ता भूचित्र को मौके पर लेकर यह सुनिश्चित करेंगें कि ग्राम के सभी सरहदी पत्थर व अन्य सीमा चिन्ह मौजूद हैं और यह जानने के लिये कि सीमा–चिन्ह अपने सही स्थान पर हैं वह एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह तक जांच रेखायें डालेगें, साथ ही वह सरहदी ग्रामों की सरहद की रेखाओं से सम्बन्धित ग्राम की सरहद का मिलान करेगें। यदि आयतकर्ता को सरहदी रेखाओं में थोड़ा भी अन्तर मिलता है तो वे आयत बनाते समय उसे ठीक कर देंगें, परन्तु यदि अन्तर अधिक है तो वह सहायक आयतीकरण अधिकारी को उसकी सूचना देगें, जो स्वयं मौके पर जाकर जांच करके गलती ठीक करने का प्रयत्न करेगें। यदि वे यह पाते हैं कि त्रुटि के कारण सरहदी झगड़े उठ खड़े होगें तो वह वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए एक विस्तृत आख्या आयतीकरण अधिकारी को प्रेषित करेगें। आयतीकरण अधिकारी स्थल पर जाकर मामले को समझौते द्वारा तय कराने का प्रयत्न करेगें। समझौते के औपचारिक आदेश सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा धारा–9क के अन्तर्गत ही पारित किये जायेगें। फिर भी यदि विवाद बना रहता है तो उन्हें जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 में अन्य विवादों के साथ दर्ज किया जायेगा और धारा–9 के अन्तर्गत उनका नियमानुसार निराकरण किया जायेगा।

.....2

3. इसी प्रकार प्रस्तर–37 में यह निर्देश है कि यदि यह पाया जाता है कि वर्तमान भूचित्र में ग्राम की सीमा ठीक–ठीक नहीं दिखायी गयी है व अन्य पुराने बन्दोबस्त में बनाये गये भूचित्र में सीमाएं शुद्ध रूप से बनी हैं, तो ऐसी स्थिति में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ग्राम की सीमाओं की शुद्धि के लिये सही बन्दोबस्त के भूचित्र के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करेगें। यह सुनिश्चित हो जाने पर ही कि विद्धमान सर्वे चिन्ह व ग्राम की सीमाएं ठीक हैं, ग्राम में सर्वे का कार्य आगे बढ़ाया जायेगा।

4. चकबन्दी मैनुअल के प्रस्तर–53 में यह व्यवस्था है कि बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सर्वे टीम/आयतीकरण टीम द्वारा जो कार्य किया गया है, वह नियमानुसार सही है।

5. जिन ग्रामों में आयतीकरण का कार्य कराया जाना आवश्यक नहीं है और साधारण सर्वे द्वारा ही चकबन्दी कार्य किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में सीमा विवाद के सम्बन्ध में उपरोक्त विधि से प्रथमतः ग्रामों की सीमाओं का विवाद सुलझाया जाये, तदुपरान्त ही आगे की चकबन्दी प्रक्रिया अमल में लाई जाये।

6. बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी किसी ग्राम का धारा–52 का प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगें कि गांव का सीमा विवाद निस्तारित किया जा चुका है। इस तथ्य का उल्लेख धारा–52 के प्रस्ताव में विशिष्ट प्रस्तर के रूप में किया जाये।

उपरोक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

10.7.2009

( एन0 एस0 रवि )
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

**प्रतिलिपिः–**

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग–8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।

( एन0 एस0 रवि )
चकबन्दी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।